**UPMP040063362026**

**न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी./ 14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।**

राज्य बनाम गोपाल आदि ।

**<u>आदेश</u>**

अपराध संख्या–381/2025
अन्तर्गत धारा-115(2),126(2),352,351(2)BNS
थाना-एलाऊ, जिला- मैनपुरी

<u>दिनांक- 06.03.2026</u>

1. अभियुक्त गोपाल पुत्र देवेंद्र सिंह की ओर से अपराध संख्या -381/2025 अन्तर्गत धारा-115(2),126(2),352,351(2)BNS थाना- एलाऊ,जिला- मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया हैं ।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी /अभियुक्त को उपरोक्त केस में झूठा एवं फर्जी फंसाया गया है । प्रार्थीगण सर्वदा निर्दोष है । अतः प्रार्थीगण की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपराध अजमानतीय है । जमानत का विरोध है ।

4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 115(2),126(2),352,351(2)BNS अपराध संख्या-381/2025 थाना एलाऊ जिला मैनपुरी में प्रस्तुत किया गया है । प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर मारपीट व गाली गलौज का आरोप है । अभियुक्त द्वारा स्वयं आत्म समर्पण किया गया है। अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

6. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(आजम रहमानी)
सिविल जज (अवर वर्ग)एफ.टी.सी./
14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।